

सेवा में,

राजेश्वरी सिंह

विशेष अधिकारी

उपरोक्त शाखा

सेवा में,

निदेशक,

राज्य नगरीय विकास अधिकरण,

उपरोक्त, लखनऊ।

नगरीय योजनाएं एवं गरीबी

संख्या : दिनांक : 20 अगस्त, 2015

उन्मूलन कार्यक्रम विभाग।

विषय:-शहरी गरीबों के लिये अल्पसंख्यक बाहुल्य बस्तियाँ तथा नगरीय मलिन बस्तियाँ में आसरा योजना (आवासीय भवन) के अन्तर्गत वित्तीय वर्ष 2015-16 में अनुदान संख्या-37 से रिलोकेशन आवासों की 01 परियोजना की वित्तीय स्वीकृति।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक आपके पत्र संख्या-1805/190/10/छ:/विधि/आसरा/तकनीकी (सोनमद्र-चुर्क-गुर्मा-120) दिनांक 30 जुलाई, 2015 के संदर्भ में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि शहरी क्षेत्रों की अल्पसंख्यक बाहुल्य बस्तियाँ तथा नगरीय मलिन बस्तियाँ में आसरा योजना (आवासीय भवन) के अन्तर्गत वित्तीय वर्ष 2015-16 में अनुदान संख्या-37 से जनपद-सोनमद्र की निकाय-चुर्क-गुर्मा- की 49 रिलोकेशन आवासों की 01 परियोजना हेतु रु० 231.14 लाख की प्रशासकीय एवं वित्तीय स्वीकृति सहित तालिका के स्तम्भ-7 में अंकित प्रथम किशत के रूप में परियोजना लागत का 50 प्रतिशत अर्थात् कुल धनराशि रु० 115.57 लाख (रुपये एक करोड़ पन्द्रह लाख सत्तावन हजार मात्र) की श्री राज्यपाल महोदय निम्नलिखित शर्तों/प्रतिबन्धों के अधीन सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते हैं:-

(धनराशि लाख रुपये में)

क्र. सं०	जनपद/निकाय का नाम	कुल आवासों की संख्या।	अवस्थापना सुविधाओं सहित परियोजना की कुल आवासीय लागत।	सामान्य वर्ग के लाभार्थियों के आवासों की संख्या।	सामान्य वर्ग के लाभार्थियों के आवासीय अवस्थापना सुविधाओं सहित परियोजना की कुल आवासीय लागत।	प्रथम किशत (50 प्रतिशत) के रूप में स्वीकृत की जाने वाली धनराशि (संलग्न चार्ज एवं सेवर सेल सहित)।
1	2	3	4	5	6	7
1	सोनमद्र/चुर्क-गुर्मा	120	566.05	49	231.14	115.57
योग				49	231.14	115.57

(रुपये एक करोड़ पन्द्रह लाख सत्तावन हजार मात्र)

- उक्त धनराशि का व्यय आसरा योजना (आवासीय भवन) के सम्बन्ध में जारी दिशा-निर्देश विषयक शासनादेश संख्या-33/69-1-13-14(31)/2012टीसी(सी), दिनांक 16 जनवरी, 2013 एवं शासनादेश संख्या-1833/69-1-14-14(31)/2012टीसी(सी) दिनांक 09 सितम्बर, 2014 में दिये गये दिशा-निर्देश/व्यवस्था का पूर्णरूपेण अनुपालन सुनिश्चित करते हुए की जायेगी।
- प्रस्तुत कार्य प्रारम्भ करने से पूर्व वित्तीय हस्तपुस्तिका खण्ड-6 के अध्याय-12 के पदतर-318 में वर्णित व्यवस्था के अनुसार परियोजना पर सक्षम स्तर से तकनीकी स्वीकृति अथवा प्राप्त कर ली जायेगी तथा सक्षम स्तर से तकनीकी स्वीकृति प्राप्त होने के पश्चात् ही कार्य प्रारम्भ किया जायेगा।

-2/

राजेश्वरी सिंह


16

24/8/15

3381/15

3. प्रायोजन का निर्माण कार्य प्रारम्भ करने से एवं मानचित्रों के आवश्यकतापूर्वक स्थानीय दिग्दर्शक/परिक्षेत्र स्तरीय अधिकारियों से स्वीकृत कराया जायेगा। साथ ही नियमानुसार समस्त आवश्यक दस्तावेजों/मानचित्रों एवं पर्यावरणीय विवरणों का प्राप्त करने के उपरान्त ही निर्माण कार्य प्रारम्भ किया जायेगा।
4. उक्त धनराशि शासन/प्रायोजना रखना एवं अनुमानित प्रमाण/राज्य स्तरीय समन्वय समिति द्वारा निर्धारित शर्तों/प्रतिबन्धों के अधीन उपर्युक्तानुसार निहित मद में व्यय की जायेगी। योजनान्तर्गत परियोजना में मानकीकृत क्षेत्रफल, मानचित्र एवं मात्रा में किसी प्रकार का परिवर्तन अनुमन्य नहीं होगा।
5. उक्त धनराशि जिस कार्य/मद में स्वीकृत की जा रही है, उसका व्यय प्रत्येक दशा में उसी कार्य/मद में किया जाये। सामग्री/उपकरणों का क्रय विदेशी नियमों के अनुसार किया जायेगा। परियोजनाएं पूर्ण गुणवत्ता व पारदर्शिता के साथ पूर्ण करायी जायेंगी एवं किसी प्रकार का कास्ट एस्केलेशन अनुमन्य नहीं होगा।
6. सूझ/डूडा द्वारा यह सुनिश्चित किया जायेगा कि स्वीकृत किये जा रहे इस कार्य हेतु पूर्व में राज्य सरकार अथवा किसी अन्य स्रोत से धनराशि स्वीकृत नहीं की गयी है तथा न ही यह कार्य किसी अन्य कार्य योजना में सम्मिलित है। उक्त स्वीकृत धनराशि आवंटित परिव्यय के अन्तर्गत होने एवं कार्यों की दिशवृत्ति/पुनरावृत्ति न हो इसे सूझ/डूडा द्वारा अपने स्तर से सुनिश्चित किया जायेगा।
7. प्रायोजनान्तर्गत कोई उत्प्रेक्षणीय परिवर्तन जैसे नये कार्य बढ़ाना, कार्यों के आकार/क्षेत्रफल में वृद्धि एवं अन्य विरिष्टियाँ इस्तेमाल करना इत्यादी, व्यय वित्त समिति का पूर्व अनुमोदन प्राप्त किये बिना नहीं किया जायेगा। इसके अतिरिक्त समिते द्वारा अनुमोदित कार्यों की कार्यवाही संस्था द्वारा तकनीकी स्वीकृति निर्गत करने के पूर्व विस्तृत डिजाइन/ड्राइंग बनाने समय प्रायोजना लागत में 10 प्रतिशत से अधिक वृद्धि होती है तो इस स्थिति में पुनरीक्षित प्रायोजना प्रस्ताव पर 03 माह के अन्दर व्यय वित्त समिति का पुनः अनुमोदन प्राप्त किया जाता अनिवार्य होगा अन्यथा बाद में पुनरीक्षित प्रायोजना लागत के प्रस्ताव पर विचार नहीं किया जायेगा।
8. निर्माण कार्य आरम्भ करने के पूर्व इन-सिटू आवासों के भू-स्वामियों के भू-स्वामित्व का सत्यापन अनिवार्य रूप से किया जायेगा।
9. सूझ/डूडा द्वारा यह सुनिश्चित किया जायेगा कि व्यय वित्त समिति द्वारा अनुमोदित आसरा योजनान्तर्गत आवासों के निर्माण से सम्बन्धित मानकीकरण के अनुसार ही आवास बनाये जाय व व्यय वित्त समिति द्वारा अधिरोपित शर्तों का अनुपालन सुनिश्चित करे।
10. उक्त धनराशि बैंक के माध्यम से आहरण के पश्चात् राज्य नगरीय विकास अभिकरण व सम्बन्धित डूडा द्वारा परियोजना सम्बन्धी सभी पर्याप्तों का सख्त स्तरीय निगरान करवाकर गुणवत्ता आदि बिन्दुओं सहित यथापेक्षित योजना निर्देशों के अनुपालन पर आश्रय होकर, तत्काल सम्बन्धित डूडा/उनके माध्यम से निर्माण ड्रफ्ट को उपलब्ध करा दी जायेगी, जो अपने स्तर पर भी उक्तानुसार सभी पहलुओं पर आश्रय हो लेंगे।
11. उक्त धनराशि का आहरण निदेशक, राज्य नगरीय विकास अभिकरण, 5040, लखनऊ द्वारा प्रमुख सचिव/सचिव अथवा विशेष सचिव, नगरीय रोजगार एवं नगरीय उन्मूलन कार्यक्रम विभाग के प्रतिहरताक्षरोपरान्त किया जायेगा।
12. प्रत्येक आहरण की सूचना महालेखाकार (राजकोष), महालेखाकार (लेखा), 5040, इलाहाबाद को आदेश की प्रति के साथ कोषागार का नाम, बाऊचर संख्या, तिथि तथा लेखा शीर्षक की सूचना एक वर्ष के भीतर अवश्य उपलब्ध करा दी जायेगी।


13. स्वीकृत धनराशि कोषागार से आहरित कर बैंक/डाकघर/डिपॉजिट खाते व पीओएफ में जमा की जायेगी। स्वीकृत की जा रही धनराशि का कोषागार से आहरण राज्य सरकार द्वारा निर्धारित शर्तों के अनुसार किया जायेगा तथा इसमें राज्य सरकार द्वारा निर्धारित शर्तों का अनुपालन भी सुनिश्चित किया जायेगा। प्रथमतः आहरण/भुगतान के पूर्व संचालित केन्द्र व राज्य के करों की स्वतः की वसूल सम्बन्धी अनिवार्य विधिक प्रतिबन्धों के अनुपालन का ध्यान रखा जायेगा।
14. इस धनराशि का उपयोग चालू वित्तीय वर्ष 2015-16 में यथा कलेक्टर अथवा कया विभा जमा योजनाअन्तर्गत प्रथम किश्त के रूप में स्वीकृत उक्त धनराशि की 75 प्रतिशत धनराशि व्यय हो जाने के पश्चात् तथा उसके सापेक्ष भौतिक प्रगति/गुणवत्ता से संतुष्ट होने के पश्चात् उपयोजित प्रकल्प पर शासन को समय से उपलब्ध कराया जायेगा। तदोपरान्त योजना की अवशेष/द्वितीय किश्त की धनराशि अवमुक्त की जायेगी। निर्धारित अवधि के बाद अनुपयोगित धनराशि यदि कोई हो, तो एकमुश्त शासन को वापस करनी होगी।
15. निदेशक/सचिव, राज्य नगरीय विकास अभिकरण, उओएओ, लखनऊ आहरण की वर्षान्त पर आने लगे वॉ मिलान महालेखाकार के कार्यालय के लेखे से अवश्य करायेगे।
16. परियोजना से सम्बन्धित निर्माण ड्राईंग से यथाव्यवस्था धनराशि अवमुक्त करने से पूर्व अनुमति (एमओओयू) निष्पादित किये जाने हेतु सूडा द्वारा सम्बन्धित ड्रा को निर्दिष्ट किया जायेगा।
2. उपरोक्त धनराशि का व्यय चालू वित्तीय वर्ष 2015-16 के आय-व्ययक में अनुदान संख्या-37 के अन्तर्गत लेखा शीर्षक "4216-आवास पर पूंजीगत परिव्यय-आयोजनागत 02-शहरी आवास-800-अन्य व्यय-03-आसरा योजना (आवासीय भवन)-24-वृहद निर्माण कार्य" के नामे डाला जायेगा।
3. यह आदेश वित्त विभाग के कार्यालय ज्ञाप संख्या-2/2015/वी-1-925/दस-2015-231/2015, दिनांक 30.03.2015 व समय-समय पर जारी आदेशों के तहत किये जा रहे हैं।

भारतीय

(एचओपीओ सिंह)
विशेष संचालक

संख्या-766/2015/1898(1)/69-1-15, तद्विनांक।

प्रतिनिधि निम्नलिखित को सूचनाय एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु पेषित-

1. महालेखाकार (लेखा एवं हकदारी), प्रथम, उत्तर प्रदेश, 20 सरोजनी नाथ डू गार्ड, इलाहाबाद।
2. निदेशक, स्थानीय निधि लेखा परीक्षा विभाग, उओएओ, छठवां तल, संगम परत, सिविल लाइन, इलाहाबाद।
3. सचिव, नगरीय रोजगार एवं गरीबी उन्मूलन कार्यक्रम विभाग, उत्तर प्रदेश शासन।
4. जिलाधिकारी/अध्यक्ष, जिला नगरीय विकास अभिकरण, सोनभद्र।
5. वित्त (व्यय-नियंत्रण) अनुभाग-8, उत्तर प्रदेश शासन।
6. नियोजन अनुभाग-4, उत्तर प्रदेश शासन।
7. मुख्य कोषाधिकारी, जवाहर भवन, लखनऊ।
8. वित्त नियंत्रक, राज्य नगरीय विकास अभिकरण, उत्तर प्रदेश, लखनऊ।
9. सहायक वेब मास्टर, सूडा को विभागीय वेब साइट पर अपलोड कराने हेतु।
10. गाई फाइल/कम्प्यूटर सहायक/घरुट समन्वयक।

आज्ञा से,

(एचओपीओ सिंह)
विशेष सचिव।